राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715523, E-mail: monitoring.rcse@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प/जय/EC-22वीं/2017–18/4165 दिनांकः 6/7/17

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषयः–राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 22 वीं बैठक दिनांक 29.06.2017 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 29.06.2017 को आयोजित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 22 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

5/7/17
(जस्साराम चौधरी)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

क्रमांकः रा.मा.शि.प/जय/EC-22वीं/2017–18/ दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान), शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौधोगिकी विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
13. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डॉ॰ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
20. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
22. उपायुक्त–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रामाशिप, जयपुर।
23. अधिक्षण अभियन्ता, रामाशिप, जयपुर।
24. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से संबंधित अनुपालना सुनिश्चित करें।
25. उपनिदेशक/शाला दर्पण/सी.एस.आर. प्रभारी कार्यालय उपनिदेशक मा.शि. शिक्षा संकुल जयपुर।
26. एम.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की वैब पोर्टल पर अपलोड करावें।
27. कार्यालय प्रति।

5/7/17
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 22वीं बैठक दिनांक–29.06.2017 का कार्यवाही विवरण

क्रसं	प्रस्ताव	निर्णय
01.	**प्रस्ताव संख्या–01** निष्पादक समिति की दिनांक 31.01.2017 को आयोजित 21 वीं बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदन किया गया।
02	**प्रस्ताव संख्या–02** मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.04.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक के कार्यवृत बिन्दु संख्या–5 के अनुसार मॉडल स्कूल के दो मंजिला भवन एवं खेल मैदान आदि की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में जारी परिषद् के पत्रांक 16255 दिनांक 21.09.2015 में वर्णित एक अंशकालिक सेवा के अतिरिक्त एक और अंशकालिक सेवा लगवाई जावे। (पूर्व में एक मंजिल भवन हेतु एक अंशकालिक सेवा अनुमत है) अतः दोनों सेवाओं हेतु अधिकतम 60,000 रू. वार्षिक देय होगा। यह व्यय वर्तमान में स्वीकृत गतिविधि मद में से देय होगा। उक्त प्रस्ताव निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
03	**प्रस्ताव संख्या–03** मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.04.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक के कार्यवृत बिन्दु संख्या–6 के अनुसार मॉडल स्कूलों में होने वाली पीटीए (शिक्षक अभिभावक संघ) की प्रत्येक बैठक में 3000 रू. प्रति बैठक जलपान एवं अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय की जाने की अनुमति गतिविधि मद से प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	विद्यालय की SDMC द्वारा प्रति बैठक 3000/–रू की सीमा तक विकास कोष से व्यय किया जावे।
04	**प्रस्ताव संख्या–04** मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.04.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक के कार्यवृत बिन्दु संख्या–7 के अनुसार मॉडल विद्यालयों के वार्षिक उत्सव के आयोजन पर आवर्ती मद में गतिविधि आधारित मद से टेन्ट, पुरस्कार, साउंड एवं लाईट सिस्टम कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री आदि व्यवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार (अधिकतम 20,000/– रू.) खर्च किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
05	**प्रस्ताव संख्या–05** मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.04.2017 को आयोजित की गई, जिसके बैठक के बिन्दु संख्या–8 के अनुसार रामाशिप कलेन्डर द्वारा प्रावधित चार Excursion Trip में से एक Excursion Trip हेतु अंतर राज्य भ्रमण (अधिकतम 1200 किमी.) हेतु प्रति विद्यार्थी 1000 रू. की दर से अधिकतम 50 विद्यार्थियों हेतु कुल 50,000/– रू. एवं तीन अन्य विजिट के लिए 200/– रू. प्रति विद्यार्थी की दर से 50 विद्यार्थियों के लिए कुल 10,000 रू. प्रति विजिट की राशि स्वीकृत गतिविधि मद से प्रतिवर्ष व्यय किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।

06	**प्रस्ताव संख्या–06** राज्य में संचालित किये जा रहे मॉडल स्कूलों में प्राप्त होने वाले बिजली, पानी, इंटरनेट, टेलिफोन के समस्त बिल विद्यालय के एसडीएमसी द्वारा ही गतिविधि मद से पारित कर भुगतान कर दिया जाये। इन बिलों को सहायक लेखाधिकारी (जिला कार्यालय) को जांच के लिए भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिला कार्यालय में भेजकर बिल पारित करवाकर भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होने से पेनल्टी की संभावना बनी रहती है। बिजली, पानी, इंटरनेट, टेलिफोन के समस्त बिल विद्यालय के एसडीएमसी द्वारा ही गतिविधि मद से पारित कर भुगतान किये जाने की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
07	**प्रस्ताव संख्या–07** रमसा योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं एवं अन्य विभागों से परिषद कार्यालय के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो के संदर्भ में संधारित 2 बैंक खातों का अनुमोदन कराये जाने एवं मुख्यमंत्री शिक्षा कोष हेतु नवीन खाते खोले जाने हेतु प्रस्ताव निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	बैंक खाते खुलवाकर अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को भिजवाये जाये।
08	**प्रस्ताव संख्या–08** मै0 एच.जे.एण्ड एसोसिएट्स से वर्ष 2016–17 हेतु वैधानिक अंकेक्षण कराये जाने के संबंध में:– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में संचालित समस्त योजनाओं का वैद्यानिक अंकेक्षण कार्य वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में जेठानी एण्ड एसोसियेट्स से कराया गया था। per manual for financial management and procurement for RMSA (Article No. 7.1.9) के अनुसार एक चार्टेड अकाउन्टेन्ट फर्म, तीन वित्तिय वर्ष से अधिक समय तक वैद्यानिक अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकती। अतः वर्ष 2016–17 में वैद्यानिक अंकेक्षण कार्य हेतु MFMP (Article No. 7.1.4) के अनुसार C&AG/State AG's empanelled list से रेण्डम आधार पर प्राप्त अनुमोदन उपरान्त 6 सी ए फर्मो से वित्तिय प्रस्ताव मांगे गये। प्राप्त वित्तिय प्रस्तावों को समिति के समक्ष खोला जाकर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया, जिसके अनुसार मै. एच.जे.एण्ड एसोसिएट्स की न्यूनतम दर राशि 960000/– सर्विस टैक्स प्राप्त हुई। गत तीन वर्षो में (2013–14 से 2015–16) राशि रू. 8.61 लाख सर्विस टैक्स प्रति वर्ष की दर से कार्य सम्पादित कराया गया था। परिषद् की विभिन्न योजनाओं में वृद्धि के कारण कार्य में लगातार बढ़ोतरी को मध्य नजर रखते हुए समिति द्वारा न्यूनतम दर वाली सी.ए. फर्म मै. एच.जे.एण्ड एसोसिएट्स से वित्तिय वर्ष 2016–17 हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में संचालित समस्त योजनाओं से संबंधित रिकार्ड का वैद्यानिक अंकेक्षण राशि 960000/– सर्विस टैक्स की दर पर कराये जाने की अभिशंषा के आधार पर अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है (संलग्न अनुमोदित कार्यालय टिप्पणी) अतः उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन निष्पादन समिति की बैठक में कराये जाने हेतु प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
09	**प्रस्ताव संख्या–09** शासन सचिवालय के अधिकारियों – शासन उपसचिव एवं विशेषाधिकारी शिक्षा को राजकीय कार्यों से शिक्षा संकुल, विधानसभा आना जाना रहता है। इनके द्वारा राजकीय कार्य सुचारु रुप से संपादित हो इसके लिए एक टैक्सी वाहन किराया मासिक प्रणाली आधार पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	शासन उप सचिव (शिक्षा ग्रुप–प्रथम) एवं विशेषाधिकारी –शिक्षा को एक वाहन तथा रामाशिप में नवसृजित उपायुक्त–तृतीय के लिए एक वाहन का अनुमोदन किया गया।

<table>
<tr>
<td>10</td>
<td>

प्रस्ताव संख्या–10

रामाशिप द्वारा संचालित "स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम" के तहत सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण / बैठक / कार्यशालाऐं जयपुर तथा अन्य जिलों में आयोजित की जाती हैं। "पीरामल फाउण्डेशन फॉर एजुकेशनल लीडरशिप" (PFEL), बगड़, झुन्झुनू राजस्थान में प्रशिक्षण एवं आवास संबंधी व्यवस्थायें अच्छे स्तर की होने के कारण कई बार कार्यशालाऐं / प्रशिक्षण इस संस्थान में रामाशिप द्वारा बजट प्रावधान की सीमा में आयोजित किये जाते हैं।

इस संबंध में रामाशिप द्वारा पीरामल फाउण्डेशन, बगड़, झुन्झुनू में प्रशिक्षण / बैठक/ कार्यशालाऐं आयोजित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 22वीं निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

</td>
<td>अनुमोदन किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>

प्रस्ताव संख्या–11

परिषद के राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड II) के पदों हेतु बार–बार वॉक–इन–इन्टरव्यू आयोजित करने के उपरान्त भी कनिष्ठ लिपिकों (लिपिक ग्रेड–II) उपलब्ध न होने से कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त रह जाते हैं जिसके कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्वीकृत पद निम्नानुसार है।

<table>
<tr><th rowspan="2">कार्यालय</th><th colspan="2">स्वीकृत पद</th><th rowspan="2">वर्तमान में रिक्त पद</th></tr>
<tr><th>वरिष्ठ लिपिक</th><th>कनिष्ठ लिपिक</th></tr>
<tr><td>राज्य कार्यालय</td><td>4</td><td>7</td><td>कनिष्ठ लिपिक – 03
(03 कनिष्ठ लिपिक का चयन दिनांक 08.05.2017 के वॉक इन इन्टरव्यू द्वारा किया गया है। आदेश जारी होना शेष है।)</td></tr>
<tr><td>जिला कार्यालय (33)</td><td>0</td><td>66</td><td>कनिष्ठ लिपिक – 47
(10 कनिष्ठ लिपिक का चयन दिनांक 08.05.2017 के वॉक इन इन्टरव्यू द्वारा किया गया है। आदेश जारी होना शेष है।)</td></tr>
</table>

रामाशिप. की विभिन्न गतिविधियों के प्रभावी संचालन एवं प्रभावी निष्पादन हेतु परिषद के राज्य कार्यालय एवं जिला कार्यालयों में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर पद रिक्त होने एवं कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध न होने की स्थिति में कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड II) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–II)/वरिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–I) का चयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु एजेण्डा प्रस्ताव प्रेषित है।

</td>
<td>अनुमोदन किया गया।</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>

प्रस्ताव संख्या–12

व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा NSQF के दिशा– निर्देश में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण (In Service Traning)हेतु @600/- प्रति प्रशिक्षक प्रति दिन अनुमोदित किये गये है। वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कुल 1340 व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत है तथा इनके 20 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के लगभग 40 व्यावसायिक समन्वयक भी कार्यरत है। इस प्रकार कुल 1400 प्रशिक्षणार्थियों को सत्र 2017–18 में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उपरोक्त प्रशिक्षण में विषयविशेषज्ञो द्वारा विभिन्न सत्र लिये जाते है अर्थात

</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	प्रत्येक चरण की कार्यशाला में 02 दिवस व्यवसायवार विषय विशेषज्ञो को आंमत्रित किया जाता है। क्योकि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा SSC के विषय विशेषज्ञो की आंमत्रित करने के लिए पत्र जारी करने के उपरान्त भी कई बार प्रशिक्षण कार्यशालाओ में विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नही होते है। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्तर पर ही विषय विशेषज्ञो की व्यवस्था पॉलोटेक्नीक एवं आई टी आई संस्थाओ द्वारा की जा रही है। क्योकि SSC द्वारा नामित विषय विशेषज्ञो को प्रतिदिवस मानदेय की राशि के रूप में 2500 रू व दिल्ली से आने जाने का यात्रा व्यय (वोल्वो एवं शताब्दी) दिया जाता है। अतः स्थानीय विषय विशेषज्ञो को 1000 रू का मानदेय दिया जा रहा है अतः उपरोक्त दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में निष्पादन समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
13	भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कक्षा 9व 10 तथा कक्षा 11 व 12 में पंजीकृत विद्यार्थियो के व्यावसायिक शिक्षा विषय के वार्षिक मुल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रति विद्यार्थी क्रमशः 600 रू एवं 800 रू का अनुमोदन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा अवगत करवाया गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के व्यावसायिक शिक्षा विषय के वार्षिक सैद्वान्तिक प्रश्न पत्रो का निर्माण एवं कक्षा 10 व 12 के सैद्वान्तिक मुल्याकंन का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के सहयोग से किया जाता है। उपरोक्त कार्यो हेतु बोर्ड को भी राशि की आवश्यकता होती है अतः भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि 600 व 800 में से क्रमशः 100 एवं 200 रू (प्रति विद्यार्थी) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दिया जाना निर्धारित किया गया है। व शेष राशि क्रमशः 500 एवं 600 रू प्रायोगिक कार्य हेतु SSC से मनोनित Asseser को दिया जाना प्रस्तावित है।	अनुमोदन किया गया।

पूरक एजेण्डा

क्रसं	प्रस्ताव	निर्णय
01.	**प्रस्ताव संख्या–01** निदेशक मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक राजस्थान के **Digitization Block** के निर्माण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से रामाशिअ टोंक को कार्यकारी एजेन्सी के रूप में स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदन किया गया।
02	**प्रस्ताव संख्या–02** राज्य के राजकीय विद्यालयों के संरचनात्मक एवं शैक्षिक विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी (**Corporate Social Responsibility)** के अन्तर्गत सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन **राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष)** स्थापित किये जाने के संबंध में ।	पत्रावली केबिनेट को भिजवाई गई है। पत्रावली प्राप्त होने पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

(जस्साराम चौधरी)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राज0 माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर